

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पुंन 77/16 तारीख 21-7-16

उत्तवान - जयसकाश बनाम कपनारायण दावा बाबत इस्तकार हक, बंटवारा स्थायी निवेधाजा

वादी की ओर से गदन मोहन शर्मा Adv. ने दावा बाबत इस्तकार हक, बंटवारा स्थायी निवेधाजा पेश किया गया। वादी का आवेदन कन किया गया। दावा दर्ज रजि- 1962-65 स्ट्र कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब 21-7-16 करे घना व लीखिनांक 20-7-16 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

8-7-16 वादी वकील उपन/ प्रतिवादीगण उप. नहीं हू प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 1 की उपरिगत लाभील गीले कोर्ट नोटिस से वादिके आदेश दिये जाते हैं। वास्तु तलबी जरिये कोर्ट नोटिस प्रतिवादी नं. 1 दिनांक 9-8-16 को पेश हो।

6 वादी वकील उपन/ प्रतिवादी नं. 1 बाबत सूचना कोर्ट नोटिस वास्तु तलबी उपरिगत नहीं है 0: सादर धीरिंग में भरतपुर पधारे है। अग्रिम दिनांक 12-8-16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

25.4.16

वादी वकील उप. / पेश करने लाइखवादी दिनांक
25.4.16 को पेश हो

25.4.17

वादी वकील उप. / लाइखवादी पेश करने नपाय
आपके ड्रॉ कैम्प धरान में दिनांक 12.6.17 को पेश हो

12.6.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा
कैम्प धरान में पेश हुई वादी वकील उपस्थित /
वादी वकील ने ग्राम धरान की जमाबंदी संवत् 2068-
2071 के खाता संख्या 202 में कुल किरा 20 कुल
रकम 4.12 हों की पेश की / इसमें इसकी खातेदारी
प्रतिवादी नं. 1 रूपनारायण के नाम दर्ज है / प्रतिवादी
अबगूद सूचना उपस्थित नहीं है तथा इसमें ही
इसके विक्रम एक पक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी
है / वादीगण प्रतिवादी रूपनारायण के पुत्र है
वादी वकील ने कथन किया कि दादा उत्तुत वरने
का मूल उद्देश्य इस भूमि का विक्रम नहीं कराने
देना है खातेदारी एवं तकासा कराने की रिलीफ
चाहिए ली जाती है केवल प्रतिवादी रूपनारायण
खातेदारी की जमीन का विक्रम नहीं करे इसके
लिए प्रतिवादीगण को खाची निवेदाज्ञा से

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>ही पाबन्द फामा दिवा जोब / वादी वकील की कस पा मनन जिदा / पत्रावली का आवलिन किपा / वादीगण प्रतिवादी रूपनारापण के पुत्र के स्वाभाविक रूप से विरासत के अमुसपु की निपमानुसा खतेदारी दर्ज हो जायेगी / वादी वकील के कथन पर घोषणा खतेदारी एवं कस की रिलीफ पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गम चवान की अमि खसरा नम्बर $\frac{196}{0.10}$, $\frac{196/1093}{0.10}$, $\frac{252}{0.14}$, $\frac{272}{0.30}$, $\frac{345}{0.24}$, $\frac{346}{0.60}$, $\frac{349}{0.39}$, $\frac{350}{0.34}$, $\frac{403}{0.32}$, $\frac{890}{0.18}$, $\frac{936}{0.15}$, $\frac{937}{0.14}$, $\frac{945}{0.16}$, $\frac{1095/102}{0.15}$, $\frac{1099/184}{0.04}$, $\frac{1100/334}{0.30}$, $\frac{1103/533}{0.13}$, $\frac{1106/939}{0.10}$, $\frac{1107/943}{0.07}$, $\frac{1109/994}{0.14}$</p> <p>कुल जिला 20 कुल खसरा 4.12 हे. की जमीन व मोटे की पचास्थिति बसोप रहे / अमि का खस वय नहीं को / निर्णय की प्रति तहसीलदार उप पंजीपक टोडा भीम को भिजवोपे / पत्रावली फैलात शुभा रोज नम्बर सेक्स होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>